

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 162/2021

तारीख रजु 29.11.2021

दावा बाबत

तकारमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2021/572

उनवान

कैलाशी पुत्र कंचन बगै0 जाति जाट निवासी कजानीपुर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली

वादी02

बनाम

कारु पुत्र गल्लर बगै0 जाति जाट निवासी कजानीपुर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।

—प्रतिवादी 15

दिनांक	फर्द अहकाम
29.11.2021	<p>आज यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री विजेन्द्र सिंह गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.12.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अनूप सिंह) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
20/12/21	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी... युगल कुमार केवल पेश है। गतानुसार दिनांक 18.12.21 को पेश हो।</p> <p>28/3/2022 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। उमरसरा केवल-कारु वादी व वादी वकील की उपस्थिति मिलाने गयी। मानाज मिलाने में बाधक वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। जिससे बाधक है कि वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित मार्ग चलाने में रुकी नहीं है। अतः मुकदमा 162/2021 साल कैलाशी बनाम कारु एडवोकेट गुर्जर व कारु पुत्रनी में स्थायी निषेधाज्ञा (पत्रावली पेश करने के बाद) जमानत का फर्द है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>